डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2001—पौष 7, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-2/2001/वा. क./पांच (76).—अधि. क्र. 326-641, दिनांक 1-3-2001 द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित व्यवसाइयों के लिये, अधिसूचना में उल्लेखित कारणों के आधार पर, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (बाद में अधिनियम के रूप में उल्लेखित) की धारा 27 की उपधारा (8) के अधीन कर निर्धारण प्रक्रिया हेतु 31-12-2000 तक समय सीमा वाले प्रकरणों में, कर निर्धारण प्रक्रिया हेतु समय सीमा 31-1-2002 तक बढ़ाई गई है.

सही कर निर्धारण हेतु पिछले प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण होना आवश्यक है.

अत: राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (9) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उपरोक्त व्यवसाइयों के (नीचे दिये व्यवसाइयों को शामिल कर), उपरोक्त कारणों से, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (8) के अधीन कर निर्धारण प्रक्रिया हेतु 31-12-2001 की सीमा वाले प्रकरणों में कर निर्धारण प्रक्रिया 31-12-2001 तक पूर्ण न हो पाने पर कर निर्धारण प्रक्रिया हेतु समय सीमा 28-2-2002 तक बढ़ाई जाती है.

व्यवसाइयों की सूची :

1. भारत इस्पात उद्योग, रायपुर RYP/IV/RYP/2904
2. शालिमार इस्पात उद्योग, रायपुर RYP/III/XXXV/3598

3. वंदना इण्डस्ट्रीज इकाई दो रायपुर RYP/IV/RYP/3662
4. उड़ीसा कांक्रीट एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज इकाई चार रायपुर, RYP/III/VI/4374
5. नितीन स्टील प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर RYP/IV/RYP/2034
6. सूरी सेल्स कार्पोरेशन भिलाई DRG/II/BHL/1121
7. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड रायगढ़ 011/RGH/RGH/3021/1

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ-10-2/2001/वा.क./पांच (76).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2001/वा. क./पांच (76), दिनांक 28-12-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 28th December 2001

NOTIFICATION

No. F-10-2/2001/CT//V/ (76).—By notification No. 326-641 dated 1-3-2001, for dealers mentioned in the notification, for reasons mentioned in the notification, for cases for which time limit for tax assessment proceedings was 31-12-2000 under sub-section (8) of Section 27 of Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred as the Act), time limit for tax assessment proceedings has been extended to 31-1-2002.

For correct tax assessment completion of proceedings in previous cases is must.

So, State Government exercising powers under sub-Section (9) of Section 27 of the said Act, for dealers mentioned above (including dealers given below), for reasons mentioned above, for cases in which under sub-section (8) of Section 27 of the said Act time limit for completion of tax assessment proceeding is 31-12-2001 and tax assessment proceedings is not completed till 31-12-2001, extends time limit upto 28-2-2002.

List of the dealers :

1. Bharat Ispat Udyog Raipur RYP/IV/RYP/2904
2. Shalimar Ispat Udyog Raipur RYP/III/XXXV/3598
3. Vandana Industries Unit II Raipur RYP/IV/RYP/3662
4. Orrissa Concrete & Allied Industries Unit IV Raipur RYP/III/VI/4374
5. Nitin Steel Pvt. Ltd., Raipur RYP/IV/RYP/2034
6. Suri Sales Corporation Bhilai DRG/II/BHIL/1121
7. Jindal Steel & Power Ltd., Raigarh 011/RGH/RGH/3021/1

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.